न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/514

1. ईश्वर लाल सेनी पुत्र श्री घांसी लाल सेनी जाति माली निवासी महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा हाल निवासी म0 नं0 488, श्रीनाथपुरम् ए, कोटा ।
2. गिर्राज खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रभूलाल खण्डेलवाल निवासी मकान नं0 411 केशवपुरा सेक्टर–7, कोटा जरिये गणेश नगर विकास समिति, कोटा ।
3. श्याम स्वरूप भट्नागर पुत्र भगवान स्वरूप भटनागर निवासी म0 नं0 09 एफ 25 महावीर नगर, तृतीय कोटा जरिये गणेश नगर विकास समिति, कोटा ।
4. आशीष पुत्र पुरूषोत्तम मेहता निवासी मेहता भवन कोतवाली के पास, रामपुरा कोटा ।
5. श्रीमती शशि बलदुआ पत्नी ए.के. बलदुआ निवासी – 2 – न, दादाबाडी कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. पांची बाई बेवा मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 57 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सुगना पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रामपति पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. विमला उर्फ बिबला आयु 22 वर्ष पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. कंचन बाई पत्नी सुन्दर लाल जाति गुर्जर आयु 48 वर्ष निवासी रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल जाति गुर्जर आयु 46 वर्ष निवासी रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मनोज पुरी, श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 91 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम

रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 173 की रकबा 1.66 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि में वादी क्रम 1 से 4 का 1/3 हिस्सा एवं वादी क्रम 5 का 1/3, वादी क्रम 6 का 1/3 हिस्से के सहखातेदार दर्ज हैं। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा कूटरचित, फर्जी व बनावटी मुख्तारनामा वादी क्रम 1, 5 व 6 के नाम से तथा वादी क्रम 2, 3 व 4 को बातिलग होते हुए भी नाबालिग बातकर तैयार कर दो अलग–अलग विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पक्ष में दिनांक 08.07.2005 को पंजीबद्ध करवा लिये जो मुख्तार नामा दिनांक 03.06.96 का वादीगण को पता लगने पर मुख्तारनामा फर्जी, कूटरचित व बनावटी होने की वजह से मुख्तारनामे की जानेकारी होने पर कि मुख्तारनामा का कोई दुरूपयोग न हो इस कारण मुख्तारनामा दिनांक 26.05.2005 को श्री नन्दकिशोर सेनी नोटेरी के यहॉ निरस्तीकरण मुख्तारनामा आलेखित कर निरस्त करवा दिया गया जिसकी सूचना प्रतिवादी क्रम 1 को वक्त निरस्तीकरण मुख्तारनामे से ही है । प्रतिवादी क्रम 4 व 5 के नाम अवैध रूप से व फर्जी तरीके से 0.02 हैक्टर एवं 0.03 हैक्टर भूमि नाम कर देने के कारण उनको वाद में पक्षकार बनाया गया है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादीगण को पूर्वानुसार वादीगण क्रम 1 से 4 को 1/3 हिस्सा तथा वादी क्रम 5 व 6 को 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी क्रम 2 से 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एवं जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान भी सहमत नहीं थे इस प्रकार उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना के भी विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी की मूल खातेदार तुलसी बाई की वारिसान हैं तथा वादीगण की ओर से पेश की गई एफ.एल.एल. रिपोर्ट से भी मुख्तारनाामा में वादीगण रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षरों का मिलान नहीं पाया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट द्वारा जिस मुख्तारनामा के आधार पर आराजी का बेचान किया गया वो फर्जी है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट पूर्वानुसार अपना हिस्सा दर्ज कराने की विधिवत अधिकारी थीं । अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों को दृष्टित रखते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कायम प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादीगण रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी की मूल खातेदार तुलसी बाई की वारिसान हैं तथा वादीगण की ओर से पेश की गई एफ.एल.एल. रिपोर्ट से भी मुख्तारनाामा में वादीगण रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षरों का मिलान नहीं पाया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट द्वारा जिस मुख्तारनामा के आधार पर आराजी का बेचान किया गया वो फर्जी है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट पूर्वानुसार अपना हिस्सा दर्ज कराने की विधिवत अधिकारी थीं । अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों को दृष्टित रखते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.07.2017 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/514

1. ईश्वर लाल सेनी पुत्र श्री घांसी लाल सेनी जाति माली निवासी महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा हाल निवासी म0 नं0 488, श्रीनाथपुरम् ए, कोटा ।
2. गिर्राज खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रभूलाल खण्डेलवाल निवासी मकान नं0 411 केशवपुरा सेक्टर–7, कोटा जरिये गणेश नगर विकास समिति, कोटा ।
3. श्याम स्वरूप भट्नागर पुत्र भगवान स्वरूप भटनागर निवासी म0 नं0 09 एफ 25 महावीर नगर, तृतीय कोटा जरिये गणेश नगर विकास समिति, कोटा ।
4. आशीष पुत्र पुरूषोत्तम मेहता निवासी मेहता भवन कोतवाली के पांस, रामपुरा कोटा ।
5. श्रीमती शशि बलदुआ पत्नी ए.के. बलदुआ निवासी – 2 – न, दादाबाडी कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. पांची बाई बेवा मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 57 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सुगना पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रामपति पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. विमला उर्फ बिबला आयु 22 वर्ष पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. कंचन बाई पत्नी सुन्दर लाल जाति गुर्जर आयु 48 वर्ष निवासी रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल जाति गुर्जर आयु 46 वर्ष निवासी रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 426/दावा/2009

1. पांची बाई बेवा मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 57 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सुगना पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. रामपति पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. विमला उर्फ बिबला आयु 22 वर्ष पुत्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. कंचन बाई पत्नी सुन्दर लाल जाति गुर्जर आयु 48 वर्ष निवासी रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. प्रेमबाई पत्नी बाबूलाल जाति गुर्जर आयु 46 वर्ष निवासी रंगबाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. ईश्वर लाल सेनी पुत्र श्री घांसी लाल सेनी जाति माली निवासी महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा हाल निवासी म0 नं0 488, श्रीनाथपुरम् ए, कोटा ।
2. गिर्राज खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रभूलाल खण्डेलवाल निवासी मकान नं0 411 केशवपुरा सेक्टर– 7, कोटा जरिये गणेश नगर विकास समिति, कोटा ।
3. श्याम स्वरूप भट्नागर पुत्र भगवान स्वरूप भटनागर निवासी म0 नं0 09 एफ 25 महावीर नगर, तृतीय कोटा जरिये गणेश नगर विकास समिति, कोटा ।
4. आशीष पुत्र पुरूषोत्तम मेहता निवासी मेहता भवन कोतवाली के पास, रामपुरा कोटा ।
5. श्रीमती शशि बलदुआ पत्नी ए.के. बलदुआ निवासी – 2 – न, दादाबाडी कोटा ।
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.07.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मनोजपुरी, श्री धीरेन्द्र मालव एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री ओमप्रकाश प्रजापति के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.07.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 11.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा